

## उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ।

### पंजीकरण सूचना

निगम के गोदाम निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के सम्पादन हेतु "ए" एवं "बी" श्रेणी में पंजीकरण हेतु अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों/फर्मों एवं संस्थाओं से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/विवरण संलग्न करना आवश्यक है :-

1. "ए" श्रेणी हेतु रू0 20.00 लाख एवं "बी" श्रेणी हेतु रू0 10.00 लाख के निर्माण/मरम्मत के पाँच कार्यों का सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण-पत्र।
2. "ए" श्रेणी हेतु रू0 15.00 लाख एवं "बी" श्रेणी हेतु रू0 10.00 लाख मात्र का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र।
3. नवीनतम् इन्कम टैक्स क्लियरेंस प्रमाण-पत्र।
4. टेक्निकल स्टाफ की सूची शपथ-पत्र पर एवं डिग्री की छाया प्रति।
5. मशीनरी एवं एलायड इक्यूपमेंट की सूची शपथ-पत्र पर।
6. पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रति।
7. प्रोपराइटर/पार्टनर्स के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।
8. जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
9. PAN कार्ड की प्रति।
10. समस्त अभिलेखों की छाया प्रतियां स्व-प्रमाणित कर लगाना होगा।
11. पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 10,000.00(रूपये दस हजार) मात्र का नान रिफण्डेबल डिमाण्ड ड्राफ्ट "उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम" के नाम (लखनऊ में देय) संलग्न करना आवश्यक है।
12. निगम में पंजीकरण होने के उपरांत सामान्य जमानत राशि "ए" श्रेणी हेतु रू0 2.50 लाख एवं "बी" श्रेणी हेतु रू0 01.00 लाख मात्र का निगम के पक्ष में बंधक एफ0डी0आर0 जमा कराना होगा।

प्रत्येक प्रकार से परिपूर्ण आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से "उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम" न्यू हैदराबाद, पो0बा0 नं0-196, लखनऊ के पते पर दिनांक 05.02.2021 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे अथवा निगम के प्रधान कार्यालय, लखनऊ में रखे बाक्स में भी डाले जा सकते हैं। निर्धारित तिथि/समय के उपरांत प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक